आलेख्य

संख्याः–935 / पाँच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,**
आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, सहारनपुर एवं बिजनौर।
2. **मुख्य चिकित्साधिकारी,**
आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, सहारनपुर एवं बिजनौर।

चिकित्सा अनुभाग–5 **दिनांकः 24 अप्रैल, 2020**

विषय–अपरिलक्षित लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव रोगियों के लिए स्थापित ''एल–1 समकक्ष इकाई (L-1 Attached Facility) असिम्पटोमेटिक कोविड पॉजिटिव रोगी उपचार चिकित्सा इकाईयों'' में शैय्याओं एवं मानव संसाधनों की संख्या बढ़ाये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–802/पांच–5–2020, दिनांक 07.04.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कोविड वायरस संक्रमण के प्रकोपों से बचाव व उसके नियंत्रण हेतु 100 शैय्यायुक्त एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों की स्थापना एवं उसमें 25–25 सदस्यीय (चिकित्सक, पैरामेडिकल एवं नॉन पैरामेडिकल स्टॉफ) के 02 दलों के गठन के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. अवगत कराना है कि जनपदों से कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों की प्राप्त सूचना के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि लगभग 80 प्रतिशत संक्रमित व्यक्ति Asymptomatic होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गहन चिकित्सीय उपचार की सामान्यतः आवश्यकता नहीं पड़ती है परन्तु ऐसे संक्रमित व्यक्ति अपने परिजनों एवं समाज के अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इस प्रकार के संक्रमित व्यक्तियों को रखने के लिए लिए एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाई की स्थापना के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. इस सम्बन्ध में आपके जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आपके जनपद में विगत कुछ दिनों में कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सम्भावित है कि इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि आपके स्तर से करायी जा रही प्रभावी सर्विलान्स एवं गहन परीक्षण के कारण हुयी हो।

4. उक्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में व्याप्त कोरोना वायरस के प्रकोप एवं उसके रोकथाम एवं उपचार के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अपने–अपने स्तर पर शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

(1) संक्रमित हुए व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सम्बन्धित जनपदों में इस प्रकार के संक्रमित व्यक्तियों के रखने एवं इनकी उचित चिकित्सकीय देखभाल के लिए मानव संसाधन की समय रहते योजना बना लें। इसी के दृष्टिगत आपके जनपद में स्थापित एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों हेतु एक संकेतात्मक लक्ष्य निम्नवत् दिया जा रहा है:

क्रमांक	**जनपद का नाम**	**शैय्याओं की संख्या**
1.	आगरा एवं लखनऊ।	1000
2.	गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद एवं सहारनपुर ।	500
3.	गाजियाबाद एवं बिजनौर ।	200

vikas/go.

(2) व्यवाहारिक दृष्टिकोण से उचित होगा कि 500 शैय्याओं की व्यवस्था हेतु चयन अधिकतम 02 एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों (Facility) पर एवं 1000 शैय्याओं की व्यवस्था हेतु अधिकतम् 04एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों (Facility) पर ही किया जाय।

(3) इन चिकित्सा इकाईयों हेतु समस्त मानक चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश दिनांक 07.04.2020 के अनुसार ही होगा। परन्तु 25–25 सदस्यीय मानव संसाधनों के दोनों दलों की तैनाती इकाईवार (Facilitywise) की जायेगी न कि रोगियों के संख्या के सापेक्ष। एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाई के भवन में आवश्यकतानुसार स्वीपरोंकी संख्या में बढ़ोत्तरी कर ली जाय।यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दलों में आवश्यकतानुसार चिकित्सक, पैरामेडिक एवं अन्य कार्मिकों की संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है।

(4) प्रस्तावित एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों में अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इस हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधनों का आंकलन कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से यदि संविदा पर स्टॉफ उपलब्ध हों तो, ऐसे मानव संसाधनों को सूचीबद्ध कर लिया जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवाएं शार्टनोटिस पर प्राप्त की जा सकें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी चिकित्सक एवं आई.एम.ए. इत्यादि संस्थाओं में कार्यरत चिकित्सक/मानव संसाधनों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। यदि वह इच्छुक हों, तो उनकी सेवाओं के लेने पर विचार किया जा सकता है।

(5) यदि इसके उपरान्त भी अतिरिक्त मानव संसाधन आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्ण न हों तो ऐसे गैप को श्रेणीबद्ध करते हुए, इस हेतु प्रस्ताव प्रस्ताव महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को यथाशीघ्र उपलब्ध सुनिश्चित करें जिससे इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से यथाशीघ्र मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा सकें।

(6) उपर्युक्त एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों का चिन्हांकन करते हुए एवं इन पर तैनात किये जाने वाले मानव संसाधनों के चिन्हांकन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय परन्तु इन एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाय।

(7) इन एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों के चिन्हांकन की सूचना पत्र के साथ **संलग्न प्रपत्र–1** पर तथा मानव संसाधनों की सूचना **प्रपत्र–2** पर भरकर दिनांक 26.04.2020 की सायं तक ईमेलः datacovidup@gamil.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
23.4.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–935(1)/पांच–5–2020,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद एवं सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, यू.पी.टी.एस.यू., लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार, आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद एवं सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

vikas/go.